



2026:AHC-LKO:20887-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2531/2026

खुशबू और एक अन्य

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव गृह, विभाग लखनऊ के माध्यम से, और 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : मनोज कुमार जयसवाल, भैया लाल यादवप्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं. - 11

माननीय न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन

माननीय न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।

2. पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष संख्या 4 को नोटिस भेजना आवश्यक नहीं समझा गया।

3. यह रिट याचिका परमादेश रिट जारी करने की मांग करते हुए दाखिल की गई है, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि याचिकाकर्ताओं का जीवन और स्वतंत्रता सुरक्षित रह सके; साथ ही, एक और प्रार्थना यह भी की गई है कि विरोधी पक्ष संख्या 4 को याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में बाधा डालने से रोका जाए।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दोनों याचिकाकर्ता बालिग हैं और उन्होंने दिनांक 09.03.2026 को स्वेच्छा से विवाह किया है। निकाहनामे की एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक-3 के रूप में संलग्न की गई है। याचिकाकर्ताओं के बालिग होने के समर्थन में, उन्होंने अपने आधार कार्ड संलग्न किए हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में यह भी कहा है कि वे बालिग हैं। यह तर्क दिया गया है कि विरोधी पक्ष संख्या 4 इस विवाह से प्रसन्न नहीं है और इस कारण वह याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा उत्पन्न कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत नहीं की गई है।

5. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य 2006 (5) एस.सी.सी 475** वाद में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने अनुच्छेद-17 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"17. यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति बालिग हो जाता है, तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकृति नहीं देते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे अपने बेटे या बेटी से सामाजिक संबंध तोड़ लें; लेकिन वे न तो धमकी दे सकते हैं, न ही हिंसा के कृत्य कर सकते हैं या भड़का सकते हैं, और न ही ऐसे व्यक्ति को परेशान कर सकते हैं जिसने ऐसा अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह किया हो। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की, जो बालिग है, किसी ऐसे पुरुष या महिला से अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है जो बालिग है, तो उस दम्पति को किसी के द्वारा परेशान न किया जाए, और न ही उन्हें किसी तरह की धमकी या हिंसा का सामना करना पड़े। साथ ही, जो कोई भी ऐसी धमकी देता है, परेशान करता है, या हिंसा के कृत्य करता है चाहे वह स्वयं करे या किसी के उकसाने पर उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करके उसे जवाबदेह ठहराया जाए, और विधि के प्रावधानों के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी कड़ी कार्रवाई की जाए।"

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं ने निकाहनामा संलग्न किया है, फिर भी वे विवाह योग्य उम्र के नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता संख्या 2 की जन्मतिथि 11.04.2005 है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

7. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को एक साथ रहने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह सर्वविदित है कि भले ही पक्षों ने विवाह की विधिक उम्र प्राप्त न की हो, फिर भी उन्हें वयस्क के रूप में लिव-इन रिलेशनशिप में एक साथ रहने का अधिकार है, और प्रतिवादी अधिकारी उनके शांतिपूर्ण जीवन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते।

8. इस संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जो *नंदकुमार और अन्य बनाम केरल राज्य और अन्य* : (2018) 16 एस.सी.सी 602 वाद में दिया गया था, जिसमें शीर्ष न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी:-

"10. हमारे उद्देश्य के लिए, यह ध्यान रखना पर्याप्त है कि अपीलकर्ता 1 और थुशारा, दोनों ही बालिग हैं। भले ही वे विवाह करने के लिए सक्षम न हों (जिस स्थिति पर स्वयं ही विवाद है), फिर भी उन्हें विवाह के बाहर भी साथ रहने का अधिकार है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि लिव-इन रिलेशनशिप को अब स्वयं विधायिका ने भी मान्यता दे दी है, जिसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थान दिया गया है।"

9. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि विरोधी पक्ष याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन और स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इस विवादक पर पहले से ही कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत है, तो इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा।

11. तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने न तो याचिकाकर्ताओं की उम्र के विषय में कोई विचार किया है और न ही उनके लिव-इन संबंध/विवाह की सत्यता/वैधता पर कोई निर्णय दिया है।

(न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार श्रीवास्तव) (न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन)

23 मार्च 2026

हसीन यू